उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-7/2018/116/71-3-18-2018- जी-229/2016
लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेज, फैजाबाद के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा रू0 45.00 करोड (रू0 27.00 केन्द्रांश एवं रू0 18.00 करोड राज्यांश) की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश "वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3- /दस-2018, दिनांक मार्च, 2018" अंकित हो गया है।

अत: उक्त प्रस्तर-4 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3- /दस-2018, दिनांक मार्च, 2018 के स्थान पर "वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-819/दस-2018, दिनांक 24 मार्च, 2018" पढा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या:-7/2018/116(1)/71-3-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in